

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 376]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2026 — आषाढ़ 19, शक 1948

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जुलाई 2026

अधिसूचना

GENCOR-35/1999/2025-REGISTRATION.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 के दौरान, नवा रायपुर अटल नगर परियोजना हेतु आपसी करार के माध्यम से निजी भूमि क्रय के संबंध में "नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण" के पक्ष में निष्पादित विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है।

यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 31 मार्च 2028 तक प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 9 जुलाई 2026

GENCOR-35/1999/2025-REGISTRATION.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक GENCOR-35/1999/2025-REGISTRATION दिनांक 09-07-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस.के.सिंह, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 9th July 2026

NOTIFICATION

GENCOR-35/1999/2025-REGISTRATION.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government, hereby, remits Stamp Duty chargeable on instruments, executed in favour of "Nava Raipur Atal Nagar Development Authority" in respect of the purchase of private land through mutual agreement for the Nava Raipur Atal Nagar Project, during the financial years 2026-27 and 2027-28.

This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette up to 31 March 2028.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S.K. SINGH, Deputy Secretary.